अतुल कुमार गुप्ता,
आई.ए.एस

प्रिय महोदय,

नजूल भूमि फ्रीहोल्ड नीति को सफल बनाये जाने हेतु नयी नजूल नीति के अर्न्तगत अधिक से अधिक नजूल भूमि फ्रीहोल्ड किये जाने विषयक अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–3021/9–आ–4–2000–383एन/2000, दिनांक–31 अगस्त, 2000 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा नजूल भूमि फ्रीहोल्ड की सूचना/विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि आपके जनपदों में फ्रीहोल्ड के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण पूरी निष्ठा एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना भी समय से शासन को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जिसके कारण प्रदेश के सभी जनपदों की संकलित उपलब्धिां दर्शाते समय आपके जनपद की उपलब्धियों के सम्बन्ध में ''सूचना प्राप्त नहीं हुई है'', अंकित किया जाता है। आप समहम होंगे कि यह स्थिति उचित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से प्राप्त आय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव एंव माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर से भी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में जनपद की नियमित सूचना प्राप्त न होने के कारण प्रतिकूल आदेश पारित किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः आप नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से प्राप्त आय के सम्बन्ध में अपने जनपद की उपलब्धियों की स्वयं के स्तर से समीक्षा करते हुए शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर समयबद्ध सूचना नियमित रूप से नीचे पार्श्व पर अंकित ई मेल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

यदि भविष्य में नियमित सूचना प्राप्त नहीं होती है तो शासन इसे गम्भीरता से लेने हेतु बाध्य होगा। पत्र की पावती भी स्वीकार की जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

समस्त जिलाधिकारी, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।
अर्द्धसंख्या नं0 –275/9–आ–4–2001–5931/2001
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास अनुभाग – 1
लखनऊ : दिनाँक : 31 जनवरी, 2001